भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2380

(08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सिक्किम में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें

2380. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई वर्ष-वार कितनी है;

(ख) चालू वित्त वर्ष में पीएमजीएसवाई के लिए कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया है;

(ग) ग्रामीण संपर्क और आर्थिक विकास पर, विशेष रूप से सिक्किम में, पीएमजीएसवाई का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सिक्किम राज्य द्वारा पिछले पाँच वर्षों में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कुल 730.26 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

वित्त वर्ष	निर्मित लंबाई (किमी)
2020-21	156.95
2021-22	141.12
2022-23	281.85
2023-24	94.43
2024-25	55.91
कुल:	**730.26**

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बजट आवंटन, प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की कुल संख्या, किए गए व्यय और पिछले वर्षों की देनदारियों के आधार पर किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में नई परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृतियों के आधार पर यह आवंटन बदल सकता है। सिक्किम राज्य को वित्त वर्ष 2025-26 में 175 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सिक्किम राज्य द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 50.62 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) व्यय किए गए हैं।

(ग) राज्य ने बताया है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान सिक्किम में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 4,757.00 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। निर्मित सड़कों ने पर्यटन स्थलों सहित दूरदराज के गाँवों और बस्तियों के साथ-साथ राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों को भी जोड़ा है। कृषि उत्पादों, दूध और डेयरी उत्पादों, पशुधन आदि को गाँवों से पास के बाजारों तक पहुँचाने के लिए बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण जनता लाभान्वित हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हुआ है। जो पर्यटन स्थल पहले अलग-थलग थे , उन्हें भी ग्रामीण सड़कों से जोड़ा गया है। ट्रैवल एजेंसियों, होम स्टे और होटलों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। लघु से मध्यम स्तर के व्यवसाय भी फलने-फूलने लगे हैं।

इसके अलावा, नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान , अहमदाबाद (आईआईएम-ए), विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) , बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स), पिलानी आदि द्वारा पीएमजीएसवाई पर किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि पीएमजीएसवाई ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार किया है, कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को सुगम बनाया है , और किसानों को बेहतर कृषि मूल्य प्राप्त करने में मदद की है। पीएमजीएसवाई सड़कों ने बच्चों , विशेषकर बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों के लिए सुलभ हुई हैं। महिलाएँ इसका प्रमुख लाभार्थी रही हैं , क्योंकि अधिकांश प्रसव सरकारी अस्पतालों में हुए हैं , वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है और यह उनकी बाज़ार पहुँच में परिलक्षित होता है।

(घ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को वांछित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप लाने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र स्थापित किया गया है। इस तंत्र का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। इस स्तर का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण है। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित है, जिसमें बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान

किया गया है। तृतीय स्तर के अंतर्गत एनआरआईडीए द्वारा सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु रैंडम नमूना आधार पर स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) को तैनात किया जाता है ताकि न केवल गुणवत्ता की निगरानी की जा सके बल्कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सके। एनक्यूएम की टिप्पणियों को कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाता है और एनआरआईडीए द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी की जाती है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए किया जाता है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कें मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ-साथ 5-वर्षीय रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत होती हैं। चूँकि पीएमजीएसवाई सड़कों का डिज़ाइन जीवन दस वर्ष है, इसलिए राज्यों को अतिरिक्त पाँच वर्षों तक रखरखाव करना होगा। पीएमजीएसवाई- IV के अंतर्गत नई संपर्कता केवल उन्हीं राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का सड़क निर्माण के 5 वर्षों के बाद नियमित रखरखाव किया गया है। ईमार्ग के पाँच-वर्षीय निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक जीर्णोद्धार , नवीनीकरण, नवीनीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव , नवीनीकरण-पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

i. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए किया जाता है।

ii. चुनौतीपूर्ण भूभागों में सड़कों के लिए नवीन और टिकाऊ निर्माण तकनीकों को तेजी से अपनाया जा रहा है।

iii. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए , ऐसी सड़कों के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो चरम मौसम की स्थिति का सामना कर सकें। इसमें बेहतर जल निकासी व्यवस्था , आपदा-रोधी संरचनाएँ और कमज़ोरियों को कम करने के लिए संरेखण योजना शामिल है।

iv. इंजीनियरों और ठेकेदारों को नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त , मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ताकि योजना की प्रगति, जिसमें गुणवत्ता और रखरखाव के पहलू भी शामिल हैं, का आकलन किया जा सके। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन , जिसमें उनका रखरखाव भी शामिल है , की निगरानी एक ऑनलाइन कार्यक्रम , ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) नामक निगरानी सूचना प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर नियमित रूप से की जाती है।

*****